



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 994/2026

सुशील कुमार पांडेय

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: सुभाष चंद्र यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चंद्र यादव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत याचिका आवेदक सुशील कुमार पांडेय की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान, पुलिस थाना गंभीरपुर, जिला आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 346/2025, अंतर्गत धारा 2(b)(i), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 में संलग्न गिरोह-सूची में केवल एक मामला दिखाया गया है, और उस मामले में आवेदक जमानत पर है। गिरोह-सूची में दिखाए गए मामले के अलावा, आवेदक का दस वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उसका समर्थन किया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 11.12.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित वाद की अत्याधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, यह जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक सुशील कुमार पांडेय को उपरोक्त मामले में स्वीय बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।



(iii) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने की तारीखों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह गवाहों की उपस्थिति में सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

(v) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

16 जनवरी, 2026

मिनी